लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

क्रमांक/मान्यता/2025–26/1362 भोपाल, दिनांक 01/08/2025

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषयः–सत्र 2025–26 के लिए ऐसे अशासकीय विद्यालय जिनकी मान्यता नवीनीकृत नहीं हो सकी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अन्य निकटवर्ती शासकीय विद्यालय में प्रवेश संबंधी।

––00––

प्रदेशांतर्गत संचालित ऐसे अशासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी विद्यालय जिन्हें सत्र 2024–25 तक की अवधि हेतु मान्यता प्राप्त थी एवं इसके उपरांत सत्र 2025–26 एवं आगामी सत्रों के लिए मान्यता नवीनीकृत नहीं हो सकी है में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्यापन की व्यवस्था के संबंध में मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (यथा संशोधित नियम 2020 एवं 2021) की कंडिका 11(2) में आवश्यक प्रावधान किए गए है। तदानुसार ऐसे विद्यालय के लिए जहाँ मान्यता रदद् करने का विनिश्चय किया जा रहा है, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को निकटवर्ती शासकीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाए।

2/ उपरोक्त प्रावधान के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के जिन अशासकीय विद्यालयों की हाई स्कूल एवं हायर सकेण्डरी स्कूल की मान्यता किसी भी स्तर पर सत्र 2025–26 से नवीनीकृत नहीं की हो सकी है, में अध्ययनरत बच्चों को निकटवर्ती शासकीय विद्यालय में तत्काल 07 दिवस के भीतर प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। जिन विद्यालयों की मान्यता नवीनीकृत नहीं हुई है उन विद्यालयों का कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित न रह जाये यह सुनिश्चित किया जाए।

3/ उपरोक्त निर्देशों के विपरित यदि उपरोक्तानुसार विद्यालयों में अध्ययनरत कोई भी विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह जाता है तो इसके लिए जिम्मेदारी नियत कर संबंधित के विरूद्ध अनुशासत्मक कार्यवाही की जायेगी।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(के.के.द्विवेद्वी)
संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/मान्यता/2025–26/1363 भोपाल, दिनांक 01/08/2025

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. समस्त, जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
5. समस्त, संभागीय संयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
6. समस्त, संकुल प्राचार्य हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य संचालक संबंधित अशासकीय संस्थाओं म.प्र.।
8. एम.आई.एस.लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner